भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1301

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की वसूली

1301. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में कृषि, उद्योग, एमएसएमई और कॉर्पोरेट ऋणों सहित गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का राज्य-वार, क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कुल मूल्य कितना है;

(ख) बट्टे खाते में डाले गए, समाधान के अधीन या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को भेजे गए खातों की संख्या और मूल्य का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एनपीए की वसूली में लगने वाला औसत समय कितना है और प्रक्रियात्मक या कानूनी अड़चनों, यदि कोई हों, सहित विलंब के कारण क्या हैं;

(घ) एनपीए का प्रबंधन करने तथा ऋण प्रवाह में सुधार लाने हेतु बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु आवंटित तथा उपयोग की गई निधि कितनी है;

(ड.) सरकार द्वारा देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में ऋण निगरानी, ऋण मानदंड और पर्यवेक्षी निरीक्षण भविष्य में एनपीए को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) उक्त वसूली तंत्र को मजबूत करने और बैंक आस्ति की गुणवत्ता में सुधार करने की सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) में पिछले पांच वित्तीय वर्ष के लिए सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) निम्नानुसार हैं:-

(राशि करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित स्थिति के अनुसार	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**		**निजी क्षेत्र के बैंक**	
	सकल एनपीए	**सकल एनपीए की तुलना में सकल अग्रिम (%)**	**सकल एनपीए**	**सकल एनपीए की तुलना में सकल अग्रिम (%)**
31.3.2021	6,16,616	9.11	2,02,266	4.94
31.3.2022	5,40,958	7.28	1,80,742	3.84
31.3.2023	4,28,197	4.97	1,25,212	2.29
31.3.2024	3,39,541	3.47	1,29,047	1.85
31.3.2025	2,83,650	2.58	1,32,646	1.75

स्रोत: आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह अवगत कराया है कि उसके द्वारा सकल एनपीए के संबंध में राज्य-वार सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, पिछले पांच वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू प्रचालनों के लिए कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों, उद्योग एवं सेवा (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों सहित) और खुदरा ऋणों की श्रेणियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और पीवीबी में एनपीए का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के खातों की संख्या उसके द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और पीवीबी के लिए (तीन वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) बट्टे खाते डाले गए ऋणों की संख्या और राशि (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

जहां तक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता(आईबीसी) का संबंध है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई समाधान योजनाओं वाले मामलों और लेनदारों द्वारा वसूली योग्य राशि का वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध-3** में दिया गया है।

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) को भेजे गए मामलों की संख्या, शामिल राशि और उन मामलों में वसूल की गई राशि **अनुबंध-4** में दी गई है।

(ग): एनपीए की वसूली में लगने वाला औसत समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कई कारकों जैसे कि समाधान पद्धति और अपनाये गए वसूली तंत्र (सरफेसी/डीआरटी/आईबीसी/ओटीएस आदि) पर निर्भर करता है।

जहां तक आईबीसी का संबंध है, 1300 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी), जिससे सितंबर, 2025 के अंत तक समाधान योजनाएं प्राप्त हुई हैं, को औसतन 603 दिन लगे (निर्णायक प्राधिकरण द्वारा हटाए गए समय के अतिरिक्त)। इसी प्रकार, 2896 सीआईआरपी, जिनके लिए परिसमापन आदेश जारी किए गए, के समापन में औसतन 518 दिन लगे। इसके अलावा, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करके बंद की गई 1529 परिसमापन प्रक्रियाओं को बंद होने में औसतन 668 दिन लगे। मुकदमे के कारण मुख्य रूप से विलंब होता है क्योंकि आईबीसी के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है।

(घ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन में काफी सुधार किया है, वे लाभ में आ गए हैं और उन्होंने अपनी पूंजी की स्थिति को सुदृढ़ किया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनकी पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 24,600 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश किया है। पीएसबी अब अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार स्रोतों और आंतरिक संचय पर निर्भर हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 से सरकार द्वारा पीएसबी में कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया है।

(ङ) और (च): सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भविष्य में एनपीए को बढ़ने से रोकने के साथ-साथ एनपीए को कम करने और वसूली के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में व्यापक और स्वचलित पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) स्थापित की गई थी, जिसमें लगभग 80 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर और उधार लेने वाले खातों में समयबद्ध उपचारात्मक कार्रवाइयों के लिए तृतीय पक्ष के आंकड़ों का उपयोग किया गया था ताकि दबाव का सक्रिय रूप से पता लगाया जा सके और बदले में एनपीए की ओर होने वाली गिरावट को कम किया जा सके।

(ii) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) से आए ऋणदाता-उधारकर्ता संबंध में मौलिक बदलाव से 'कब्जे में देनदार' से 'नियंत्रण में लेनदार' की ओर बढ़ने की व्यवस्था से ऋण संस्कृति को प्रभावी किया है। आईबीसी के व्यवहारगत प्रभाव को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि मार्च 2025 तक, 13.78 लाख करोड़ रुपये के अंतर्निहित चूक वाले 30,000 से अधिक आवेदनों का पूर्व चरण में ही निपटान किया जा चुका है।

(iii) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 तथा ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। सरफेसी में प्रमुख संशोधनों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने तथा गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाने का अधिकार दिया है; भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ सभी सुरक्षा हितों का अनिवार्य पंजीकरण किया है; मामलों के निपटान में तीव्रता लाने के लिए अतिरिक्त डीआरटी का निर्माण किया है; गैर-संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश करने में सक्षम बनाया है।

(iv) ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के आर्थिक क्षेत्राधिकार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया ताकि डीआरटी उच्च मूल्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिसके परिणामस्वरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपेक्षाकृत अधिक वसूली हो सके।

(v) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और संकेंद्रित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेषीकृत दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल और शाखाएं स्थापित की हैं, जिससे त्वरित और बेहतर समाधान/वसूलियां सुकर हो जाती हैं। व्यवसाय प्रतिनिधि का विनियोजन और फीट-ऑन-स्ट्रीट मॉडल को अपनाने से भी बैंकों में एनपीए की वसूली को बढ़ावा मिला है।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 7.6.2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा जारी किया गया था ताकि दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराया जा सके जिसमें समाधान योजना को शीघ्र अपनाने के लिए उधारदाताओं को अंतर्निहित प्रोत्साहन दिया जा सके।

(vii) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए समन्वय में कार्य कर रहे हैं| इनमें सिविल न्यायालयों अथवा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में वाद दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में मामले दायर करना, बातचीत के माध्यम से समझौते/सुलह के माध्यम से और अनर्जक आस्तियों की बिक्री के माध्यम से वसूली शामिल हैं। इनके अलावा, सीआईआरपी को पूरा करने में विलंब का समाधान करने के लिए आईबीसी में विभिन्न संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है जो विधायी अनुमोदन के अधीन हैं।

*****

अनुबंध -1

अनर्जक आस्तियों की वसूली के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1301

घरेलू परिचालनों के लिए पीएसबी और पीवीबी में एनपीए का क्षेत्रवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	निम्नलिखित स्थिति के अनुसार	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	**31.3.2021**	1,17,339	20,122
	31.3.2022	1,16,052	19,333
	31.3.2023	1,14,850	20,491
	31.3.2024	1,08,985	21,795
	31.3.2025	1,09,193	31,483
एमएसएमई सहित उद्यम	**31.3.2021**	2,57,948	81,715
	31.3.2022	2,10,517	73,997
	31.3.2023	1,38,666	38,810
	31.3.2024	96,026	32,372
	31.3.2025	65,365	25,669
एमएसएमई सहित सेवाएं	**31.3.2021**	1,41,819	56,897
	31.3.2022	1,25,505	46,461
	31.3.2023	1,09,962	31,524
	31.3.2024	81,889	38,087
	31.3.2025	67,804	35,851
खुदरा ऋण	**31.3.2021**	35,887	26,439
	31.3.2022	35,191	22,880
	31.3.2023	33,208	24,315
	31.3.2024	31,491	30,307
	31.3.2025	30,671	36,536

स्रोत: आरबीआई

*****

अनुबंध-2

अनर्जक आस्तियों की वसूली के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1301

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए एनपीए का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक
	संख्या*	राशि#	राशि#
2020-21	-	1,31,894	66,863
2021-22	-	1,15,536	53,098
2022-23	17,20,431	1,27,238	83,248
2023-24	16,33,882	1,14,622	47,403
2024-25	17,60,080	91,260	58,430

स्रोत: #आरबीआई, *पीएसबी

*****

अनुबंध-3

अनर्जक आस्तियों की वसूली के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1301

समाधान योजना वाले मामलों का ब्यौरा और लेनदारों द्वारा वसूली योग्य राशि

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	संकल्पों की संख्या	कुल स्वीकृत दावे	कुल प्राप्य मूल्य
2020-21	119	1,27,200	27,551
2021-22	142	1,95,383	46,369
2022-23	186	1,53,567	55,361
2023-24	263	1,68,927	46,176
2024-25	259	1,62,746	55,821

स्रोत: आईबीबीआई

*****

अनुबंध-4

अनर्जक आस्तियों की वसूली के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1301

"बट्टे खाते डालने के कारण एनपीए में कमी" और "डीआरटी को भेजे गए मामलों की संख्या और मूल्य" पर एससीबी डेटा

(राशि करोड़ रुपये में)

	वि.व. 2020-21	वि.व. 2021-22	वि.व. 2022-23	वि.व. 2023-24	वि.व. 2024-25
एनपीए में कमी - बट्टे खाते डालने के कारण	2,02,781	1,74,966	2,16,324	1,70,262	1,57,029
डीआरटी को भेजे गए मामलों की संख्या	28,182	30,651	56,171	30,806	34,430
डीआरटी को भेजे गए मामलों में शामिल राशि	2,25,361	68,956	4,02,629	79,414	1,29,516
डीआरटी के माध्यम से वसूल की गई राशि*	8,113	12,035	39,777	13,527	12,363

स्रोत: आरबीआई

*****